

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-खीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228060-61, फैक्स नं: 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : एफ.७ ()/आरएमएससी/भण्डार/स्टेशनरी/2016-17/ 1192

ई-मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

Website : www.rmsc.nic.in


दिनांक: 21/10/2016

निविदा सूचना

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि०, जयपुर कार्यालय द्वारा निम्नानुसार लेखन सामग्री, स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्जुमेबल्स एवं अन्य कार्यालय सामग्री के क्रय के लिए दर संविदा (Rate Contract) हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :—

क्र.सं.	सामग्री	अनुमानित मूल्य (₹)	बोली प्रतिष्ठृति (Bid security) (₹)	निविदा शुल्क (₹)
1.	लेखन सामग्री, स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्जुमेबल्स एवं अन्य कार्यालय सामग्री आपूर्ति हेतु	8,00,000.00	16,000.00	200.00

निविदा प्रपत्र सीधे ही निगम की वेब साईट <http://rmsc.nic.in> & <http://sppp.rajasthan.gov.in/> से डाउनलोड कर, निविदा प्रपत्र के शुल्क की राशि ₹ 200 प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर के पक्ष में देय हो, का बैकर चैक/डी.डी. पृथक से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 10.11.2016 को ही अपराह्न 3.00 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ उपरिथित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 10.11.2016 को सायं 4.00 बजे खोली जाएंगी।


 कार्यकारी निदेशक (गु.नि.)

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, लिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228060-61, फैक्स नं: 0141-2228066

ई-मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.७ ()/आरएमएससी/भण्डार/स्टेशनरी/2016-17/

दिनांक:

अनुमति लागत ₹ 8.00 लाख

अंतिम तिथि— 10.11.2016 समय— 3.00 PM

निविदा प्रपत्र शुल्क ₹ 200/-

बोली प्रतिष्ठृति (Bid security) ₹ 16,000/-

तकनीकी निविदा प्रपत्र

लेखन सामग्री, स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्जुमेबल्स एवं अन्य कार्यालय सामग्री क्रय के लिए दर संविदा हेतु
तकनीकी निविदा प्रपत्र (वर्ष 2016-17)

1. लेखन सामग्री, स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्जुमेबल्स एवं अन्य कार्यालय सामग्री क्रय के लिए दर संविदा हेतु निविदा
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता, टेलीफोन नं. एवं TIN No.
3. सम्पर्क कार्यालय का पता
4. किसको संबोधित किया गया — प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर, राजस्थान।
5. निविदा सूचना संदर्भ दिनांक
6. निविदा प्रपत्र सीधे ही निगम की वेब साईट <http://rmsc.nic.in> & <http://sppp.rajasthan.gov.in/> से डाउनलोड कर, निविदा प्रपत्र के शुल्क की राशि ₹ 200 प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर के पक्ष में देय हो, का बैकर चैक/डी.डी. पृथक से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करें।
7. हम, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं)।
8. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न वित्तीय निविदा प्रपत्र 'A' में दर्शाई गई दरें सभी कर एवं शुल्क सहित अंकित करें। अलग से कर की दरे अंकित करने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी। दरें शब्दों एवं अंकों में दी जाएगी। वित्तीय निविदा प्रपत्र पृथक सीलबन्द लिफाफे में रखी जाएगी।
9. सामग्री/कार्य जिसके लिए निविदादाता अपनी दरे प्रस्तुत करता है, उसके नमूने पृथक से सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करेंगे।
10. प्रपत्र 'A' में दी गई दरें अनुसोदन की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी तथा सामान विभिन्न चरणों में निगम की आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु क्रयादेश जारी किए जाएंगे।

11. निविदा सूचना में अंकित राशि ₹ 16,000/- बोली प्रतिभूति (Bid security) के रूप में प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर के पक्ष में बैकर चैक/बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र०सं०

विवरण

राशि (₹)

12. निविदा के साथ नमूने संलग्न है।
 13. निविदा फार्म के साथ बिक्री कर पंजीकरण प्रमाण पत्र व बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।
 14. विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता आदि का घोषणा पत्र प्रपत्र 'ब' संलग्न है।
 15. निविदा फार्म के साथ गत तीन वर्षों में ब्लेक लिस्ट नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रपत्र 'स' संलग्न है।
 16. निविदा फार्म के साथ Fall Clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'द' संलग्न है।
 17. टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न है (प्रपत्र 'य')। निविदाकार का गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्न ओवर ₹ 10.00 लाख होना आवश्यक है।

नोट:-निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति (Bid security), नमूने (Samples), बिक्रीकर पंजीकरण व कर चुकता प्रमाण पत्र तथा विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता के घोषणा पत्र आदि के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर एवं दिनांक

8

**लेखन सामग्री, स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्जुमेबल्स एवं अन्य कार्यालय सामग्री आपूर्ति की दर
संविदा (Rate Contract) हेतु निविदा के लिए निर्धारित शर्त**

1. निविदा दो भाग यथा— तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में होगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।
2. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 की शर्त निविदा का भाग मानी जाएगी। सामान की आपूर्ति आर.एम.एस.सी, जयपुर हेतु होगी एवं सामान की आपूर्ति स्टोर आर.एम.एस.सी में (F.O.R.) की जाएगी।
3. मूल निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'आ' में ही निविदादाता अपनी दरें दर्शाएँ। विभागीय प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
4. निविदा भाग तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक—पृथक लिफाफे में रखकर, दोनों निविदा प्रपत्र एक बड़े मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी जिस पर लेखन सामग्री, स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्जुमेबल्स एवं अन्य कार्यालय सामग्री आपूर्ति कार्य के लिए निविदा अंकित होना चाहिए।
5. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान निगम द्वारा फर्म द्वारा आदेशित मात्रा व निर्धारित स्फेसिफिकेशन के अनुसार आपूर्ति करने पर सामान्यतया एक माह में कर दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज या अन्य अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।
6. निविदा के साथ बोली प्रतिभूति (Bid security) प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी. जयपुर के पक्ष में बैकर चैक/डी0डी0 द्वारा स्वीकार्य होगी। बोली प्रतिभूति (Bid security) के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
7. सफल निविदादाता को निविदा राशि के 5 प्रतिशत राशि के समतुल्य कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) निगम में जमा करानी होगी तथा नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश/क्रयादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं निगम में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
9. निविदादाता निविदा फार्म तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
10. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कॉट छाँट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। कॉट छाँट/ओवर राईटिंग होने पर निविदा रद्द की जा सकेगी।
11. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मैडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर को होगा।

12. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
13. क्रयादेश / कार्यादेश के अनुसार सामान की आपूर्ति 03 दिवस में करनी होगी।
14. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति. अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त की जा सकेगी।
15. निविदा प्रपत्र सीधे ही निगम की वेब साईट <http://rmsc.nic.in> & <http://sppp.rajasthan.gov.in/> से डाउनलोड कर, निविदा प्रपत्र के शुल्क की राशि ₹ 200 प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर के पक्ष में देय हो, का बैकर चैक /डी.डी.पृथक से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 10.11.2016 को ही अपराह्न 3.00 बजे तक स्वीकार किए जाएँगे एवं दिनांक 10.11.2016 को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएँगे। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
16. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधानानुसार लागू होगी।
17. दर संविदा समयावधि आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है।
18. तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मों की वित्तीय बिड किसी भी परिस्थिति में नहीं खोली जाएगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर निगम की तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी निविदा को रद्द किया जा सकेगा तथा बोली प्रतिभूति (Bid security) जब्त की जा सकेगी।
19. बोली प्रतिभूति (Bid security) राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.5 प्रतिशत और कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत ली जाएगी अतः यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी निविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीयन हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र 'र') में शपथ पत्र भी संलग्न करना है।
20. राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम राजस्थान सरकार के नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमात्र (Price preference) की हकदार नहीं है, द्वारा निविदत दरों की तुलना करने में, राजस्थान ब्रिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय ब्रिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात् स्थानीय व बाहरी फर्मों द्वारा प्रस्तुत

दरों की तुलना में, स्थानीय फर्म की दर से बिक्री कर/वैट को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत वर में केन्द्रीय बिक्री कर को समिलित किया जाएगा।

21. निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार लिकिवडेटेल डेमेज राशि 2.5 से 10.0 प्रतिशत वसूल की जाएगी। यदि परिसमापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किये गये कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:-

- (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0%
- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5%
- (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

22. निगम को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को एकाधिक फर्मों को आवंटित किये जाने का अधिकार होगा।

23. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी।

24. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही निगम द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Fall clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'इ' भी संलग्न करना होगा।

25. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी प्रपत्र 'स' संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security) / कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

26. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार - बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-

- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में

27. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, हनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूधना का ऐसा दुर्ब्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्धेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्ण नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

28. हित का विरोध –

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिवृत्त प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या

- विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं हैं यदि,—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान द्वितीय पक्षकारों के माफ़त एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (छ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।
- (ज) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अहता कस्टी और बोली प्रश्नों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

29. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण — प्रथम अपील प्राधिकारी शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

1 अपील— (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यक्ति है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यक्ति है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अहता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘व’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों से भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जौन का युवितयुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अहता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार

आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यक्ति है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा—सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया—नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा डितों के संरक्षण का छास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़वन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. अपील का प्रारूप — (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपञ्च - 'ब') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यवित्त करना। या रजिस्ट्रीकूट डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के सामग्री से प्रस्तुत की जा सकती है।
3. अपील फाइल करने के लिए फीस — (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पाँच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होंगी जो अप्रतिदेश होगी।
 (2) फीस का संदर्भ किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्रापट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया — (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
 (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—
 (क) उसके समझ उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
 (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
 (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निश्चल्क उपलब्ध करायेगा।
 (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपायन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
30. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को होगा।
31. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।



कार्यकारी निदेशक (ग.न.)
आरएमएससी

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर या मोहर

वित्तीय निविदा
(पथक लिफाफे में रखे)

प्रपत्र 'आ'

**लेखन सामग्री, स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्जुमेबल्स एवं अन्य कार्यालय सामग्री का
विस्तृत विवरण**

क्रंसं०	सामग्री का नाम	दर प्रति नग (₹)
1	फाईल कैंवर (दो-पीस) उत्तम व्हालिटी के मय छपाई	
2	फाईल पैड उत्तम व्हालिटी के	
3	प्लास्टिक फाईल कैंवर (फोल्डर)	
4	पेपर ए-४ फोटो स्टेट जे०के० ब्राण्ड कम्पनी पेक ७५ जीएसएम कागज	
5	पेपर एफ-एस फोटो स्टेट जे०के० ब्राण्ड कम्पनी पेक ७५ जीएसएम कागज	
6	डिस्पैचर रजिस्टर ४०० पेज मय गता बाइपिंडंग	
7	रिसिष्टर रजिस्टर ४०० पेज मय गता बाइपिंडंग	
8	पोर्टफूल ३ X १ One Colour	
9	पोर्टफूल ३ X ४ One Colour	
10	पोर्ट एड रिलप ३ कलर २० mm X ७५ mm	
11	स्पाईरल पैड ६" X ९" = २५ Pages	
12	स्पाईरल पैड थ्री कलर ७" X ८" = १०० Pages	
13	स्टैपलर पिन १० नं० (कगांरू मेक)	
14	स्टैपलर पिन २४ नं० (कगांरू मेक)	
15	स्टैपलर पिन नं० HD ९५ (कगांरू मेक)	
16	डाक पैड उत्तम व्हालिटी	
17	पोकर प्लास्टिक हैडिल	
18	प्लास्टिक जग अच्छी व्हालिटी	
19	डस्टबीन प्लास्टिक उत्तम व्हालिटी ढक्कन सहित	
20	स्टॉक रजिस्टर २०० पेज मय गता बाइपिंडंग	
21	पिन कुशन प्लास्टिक	
22	ऑल पिन पैकेट (बैल कम्पनी)	
23	पेंसिल (एच.बी.कैमलिन / नटराज / अप्सरा)	
24	सैलो टैप २ इंच	
25	सैलो टैप १ ½ इंच	
26	गम स्टिक कोरस १५ ग्राम	
27	रिफिल ऐड जैल पेन	
28	पेन थूनिबोल	
29	पेन (सैलो)	
30	पेन रीनोल्ड ०.४५	
31	Electric bell with remote	
32	Highlighter (Luxer Company)	
33	पेन एडजेल	
34	ड्वाइट बोर्ड मार्कर	
35	पेन ड्राईव ४ जी बी (Kingston, Iball)	

36	ब्लैन्क सी०डी० सोनी री-राइटैबल
37	ब्लैन्क सी०डी० सोनी राइटैबल
38	प्लास्टिक बटन बैग (एफएस)
39	फैक्स रोल सूपर मेक
40	पंचिंग मशीन (छोटी) नम्बर 10 (कंगारू मेंक)
41	नोट शीट लीगल साइज भुव्रित लेजर पेपर - 90 जीएसएम 100 शीट प्रति पैड मय भुव्रण
42	सैलो टैप 1 इंच
43	सैलो टैप 1/2 इंच
44	पेपर वेट
45	स्कैल - 12" प्लास्टिक नटराज
46	पैन ड्राईव 8 जीबी (Kingston, Iball)
47	कम्प्यूटर साउस (स्क्रोल बार)
48	सीडी प्लास्टिक कवर
49	प्लास्टिक एल फोल्डर (ए-4)
50	प्लास्टिक बलीयर बैग
51	फाईल लैस 24"9 X 24
52	डाक पुस्तिका - 120 पेज मय गत्ता बाईचिंग
53	सफेद फ्लायूड (Whitener) कोरस मेक
54	पंचिंग मशीन (कंगारू मेंक) डीपी 540 8 सीएम
55	स्टेपलर छोटी साइज नम्बर 10 कंगारू मेक
56	स्टेपलर साइज नम्बर 24 कंगारू मेक
57	स्टेपलर बड़ी साइज नम्बर एचडी 45 कंगारू मेक
58	लिफाफे 9 X 4 इंच मय छपाई - 60 GSM Craft Paper
59	लिफाफे 12 X 6 इंच मय छपाई - 60 GSM Craft Paper
60	फाईल टैग अच्छी बयालिटी
61	स्टाम्प पैड (अशोका) 110 X 70 MM
62	गोंद की बोतल 700 एमएल (कैमल मेक)
63	रजिस्टर लाइनदार 200 पेज मय गत्ता बाईचिंग - 70GSM
64	यू पिन (Bell)
65	रिफिल रीनोल्ड पेन (0.45)
66	पैसिल सैल एवरिडी / नोबिनो
67	टेबल टोप ग्लास (2 एमएस)
68	टेबल टोप ग्लास (8 एमएस)
69	Correcting Pen Koras Make
70	Calculator- 12 Digit Citizen Make/Casio Make
71	Extension Code 5 Amp. For 5 point 10 Mtr वायर
72	पैन ड्राईव 2 जी बी (Kingston, Iball)
73	एल फोल्डर
74	Ring Binder A-4
75	Ring Binder Legal
76	Meeting Stand
77	Pen Stand, Big with Holder Pen
78	Attendance Register
79	Electric Tea Cattle
80	Tea costar

81	Collin
82	Liquid Vim
83	Trimax Pen
84	Cup-plate Set. (6)
85	Cup Set (6 Set)
86	Glass Yera/Borocil
87	Wall Clock
88	Spoon Steel
89	All out Machine Set
90	Lock Big
91	Pen Mug (Tumber)
92	Strip File Big
93	Minute Book with Binder for CS
94	Minute Book
95	U Pin (Plastic Coated)
96	Binder Clip Small
97	Binder Clip Medium
98	Binder Clip Large
99	Room Spray
100	Trey (Medium Size)
101	Table bell
102	All out Refill
103	Pen Drive 16 GB Kingston/I-ball
104	Planer
105	Baste
106	Photo glossy paper 150 GSM
107	Slip pad Conference
108	Blank DVD (Sony)
109	Index File
110	कैची
111	पोकर
112	रबर
113	शॉप्पनर
114	कटर भीडियम साइज
115	मार्कर (परमानेट) बड़े
116	लाइफलाय साबुन
117	विम बार
118	डस्टर
119	Unibol Pen
120	Solo Box File Blue Colour (Liver Arch File)
121	Dust been with Cover

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (forfeited) कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र - 'स'

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन लेखन सामग्री, स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्जुमेबल्स एवं अन्य कार्यालय सामग्री की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लग्भित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र - 'd'

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन लेखन सामग्री, स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्जुमेबल्स एवं अन्य कार्यालय सामग्री की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को लेखन सामग्री, स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्जुमेबल्स एवं अन्य कार्यालय सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही निगम से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

d

प्रपत्र - 'य'

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म का विगत तीन वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वर्ष	टर्न ओवर (रुशि ₹ लाखों में)
1	2013-14	
2	2014-15	
3	2015-16	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक

अंकेश्वर / सनदी लेखाकार का
नाम भय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

8/

Affidavit

(on non-judicial stamp paper of ₹ 10/-)

I..... S/o Aged..... yrs, residing at Proprietor/Partner/Director of M/s do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center The acknowledgment No. is Dated and has been issued for manufacture of following items:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I..... S/o Aged yrs residing at Proprietor / Partner/ Director of M/s verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent

FORM NO. 2. (See rule 83 of RTPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency In Public Procurement Act, 2012

Appeal No. _____ of _____

Before the _____ (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (I) Name of the appellant:
(II) Official Address, If any:
(III) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

- 100

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is satisfied:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

International Tax Law (ed. 2008) 10(1) 1-20.

7. Previews

Place: Address or name of your favorite vacation spot **Date:**

Appellant's Signature

Stationery Tender 15.09.2016